

पंजीकृत और प्रधान कार्यालय: पटसन भवन, तीसरी और चौथी मंजिल, एक्शन एरिया I,
न्यू टाउन, पश्चिम बंगाल - 700156
Head Office: Patsan Bhavan, 3rd & 4th Floor, Action Area I,
New Town, West Bengal - 700156
सी.आई.एन./ C.I.N.: U17232WB1971GOI027958

सन्दर्भ सं.भापनि/स्था./आईडीए/बिल्स/2025-26

दिनांक: 28.04.2025

परिपत्र

कार्यालय ज्ञापन क्रमांक W-02/0039/2017-DPE (WC)/FTS-8022 दिनांक 21 अप्रैल 2025, सरकार के अनुसार। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने संशोधित आईडीए दरों के कार्यान्वयन के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी ने 01.04.2025 से संशोधित आईडीए दरों का प्रतिशत 49.6% से 48.7% जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, 01.04.2025 से संशोधित दर पर 48.7% आईडीए अप्रैल, 2025 माह के वेतन बिल में दर्शाया जाना है।

भुगतान की तिथि	संशोधित दर % प्रति माह
01.04.2025	48.7%

यह दर केवल उन आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जिनका वेतन डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01-04-2025 से संशोधित किया गया है।

संशोधित आईडीए उन लोगों पर भी लागू होगा जो अप्रैल 2025 की अवधि के दौरान निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं/सेवा समाप्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त/सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन के अंतर सहित ईएल नकदीकरण का बकाया प्रधान कार्यालय/कोलकाता से जारी किया जा सकता है।

देबोप्रियो सिन्हा
Webpage 28/4/2025
देबोप्रियो सिन्हा
(प्रबंधक-मानव संसाधन)

वितरण: -

1. एमडी सचिवालय-एमडी को जानकारी हेतु कृपया
2. निदेशक (वित्त) सचिवालय- निदेशक (वित्त) को जानकारी हेतु कृपया
3. महाप्रबंधक (संचालन/विपणन)
4. उप महाप्रबंधक (वित्त)
5. मुख्य प्रबंधकों
6. वरिष्ठ प्रबंधकों
7. प्रबंधकों
8. उप प्रबंधकों
9. सहायक प्रबंधकों
10. सभी आरएम (आई/सी)
11. निगम के सभी कर्मचारी
12. नोटिस बोर्ड/गार्ड फ़ाइल/वेबसाइट

पंजीकृत और प्रधान कार्यालय: पटसन भवन, तीसरी और चौथी मंजिल, एक्शन एरिया I,
न्यू टाउन, पश्चिम बंगाल - 700156
Head Office: Patsan Bhavan, 3rd & 4th Floor, Action Area I,
New Town, West Bengal - 700156
सी.आई.एन./ C.I.N.: U17232WB1971GOI027958

Ref. No.JCI/Estt./IDA/Bills/2025-26

Date: 28.04.2025

CIRCULAR

Pursuant to the Office Memorandum No.W-02/0039/2017-DPE (WC)/FTS-8022 dated 21st April 2025, Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Public Enterprises regarding implementation of revised IDA rates, the Competent Authority has agreed to release the percentage of revised IDA rates from 49.6% to 48.7% with effect from 01.04.2025.

Accordingly, the IDA at revised rate with effect from 01.04.2025 for 48.7% is to be reflected in the Salary Bill for the month of April, 2025.

Date from which payable	Revised rate % per month
01.04.2025	48.7%

This rate would be applicable only in case of IDA employees whose pay have been revised with effect from 01-04-2025 as DPE's OM dated 03.08.2017.

The revised IDA will also be applicable to those who have superannuation/expired from the services of the Corporation during the period from April 2025 and the Arrear of EL Encashment including difference of Leave Salary for retired/expired employees may be released from HO/Kolkata.


28/4/2025
Debopriyo Sinha
(Manager-HR)

Copy to: -

1. MD's Secretariat-For inf. of MD
2. D(F)'s Secretariat For inf. of D(F)
3. GM(O/M)
4. DFM (F)
5. Chief Managers
6. Senior Managers
7. Managers
8. Dy. Managers
9. Asst. Managers
10. All RM/RM (I/C)'s.
11. All employees of the Corporation.
12. Notice Board/Guard File/Website